

श्री जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.05.2022 को सम्पन्न हुयी बैठक का कार्यवृत्त।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हरदोई की बैठक दिनांक 20.05.2022 को अपरान्ह 04.00 बजे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न अधिकारी/सदस्यगण उपस्थिति रहे :-

1. मा० सांसद हरदोई श्री जयप्रकाश रावत,
2. मा० सांसद, मिश्रिख श्री अशोक रावत,
3. जिलाधिकारी हरदोई।
4. मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।
5. बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई।
6. जिला वन अधिकारी, हरदोई।
7. जिला सूचना अधिकारी, हरदोई।
8. जिला कृषि अधिकारी, हरदोई।
9. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) हरदोई।
10. जिला पंचायत राज अधिकारी, हरदोई।
11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरदोई।
12. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, हरदोई।
13. मुख्य विस्त्राधिकारी, हरदोई।
14. परियोजना प्रबन्धक, एन०सी०सी० लि० हरदोई।

जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद की अवशेष रह गयी 1039 ग्राम पंचायतों के 1467 राजस्व ग्रामों को पाईप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किया जाना शेष है, जिसके अन्तर्गत खण्ड द्वारा अवशेष रह गयी 1039 ग्राम पंचायतों के 1467 राजस्व ग्रामों की सूची तैयार की जा चुकी है। जिसके सापेक्ष सर्वप्रथम डी०पी०आर० विरचन की कार्यवाही अनुबधित संस्था मे० एन०सी०लि० हैदराबाद से करायी जानी है। जिस हेतु संस्था को सूची उपलब्ध कराये जाने हेतु सूची का अनुमोदन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाना है।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सूची का अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया गया कि अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया कि तत्काल डी०पी०आर० विरचन हेतु अनुबधित संस्था को सूची उपलब्ध करायी जाये, साथ ही साथ यह भी निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अनुमोदित सूची मा० जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराते हुए उनके द्वारा शीर्ष प्राथमिकता दर्शायी जाने वाली ग्राम पंचायतों पर सर्वप्रथम डी०पी०आर० विरचन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि अनुमोदित की गयी सूची के सापेक्ष आवश्यक निःशुल्क भूमि की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित तहसील स्तरीय उप जिलाधिकारी को सूची उपलब्ध करा दी जाये।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

सदस्य सचिव अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के जिलाधिकारी महोदय को सम्बोधित पत्र संख्या 39/011-जेजेएम(रेट्रोफिटिंग)/22 दिनांक 31.01.2022 द्वारा दिये गये निर्देश के संदर्भ में कमेटी को अवगत कराया गया कि मझिगवों ग्राम पंचायत में कुल 20 मजरे हैं, परन्तु मूल पेयजल योजना में मात्र 15 मजरे सम्मिलित करते हुए योजना निर्मित की गयी थी तथा 05 मजरे पूर्व मूल योजना में आच्छादित नहीं थे, जिसके कारण रेट्रोफिटिंग के प्राक्कलन में मूल योजना में शामिल 15 मजरों को ही संतुष्ट करने के कार्यों का प्राविधान किया गया है। अतः मझिगवों ग्राम पंचायत में अवशेष 05 मजरों (वैरागीखेड़ा, वाजपुर, जमुनिया, लालपुर एवं पाही) को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु निर्णय लिया जाना है।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्णय लिया गया कि अवशेष 5 मजरों को जल जीवन मिशन कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए उक्त मजरों में भी पेयजल संबंधी मानकों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिस हेतु अनुबधित संस्था को मझिगवों ग्रामीण पेयजल योजना के पुनर्गठन के डी०पी०आर० विरचन हेतु निर्देशित किया जाये।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

सदस्य सचिव अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा पूर्व में निर्मित विकास खण्ड बिलग्राम की जरसेनामउ एवं छिबरामऊ ग्रामीण योजना जो 15 वर्ष के डिजाइन पीरियड पर तत्समय तैयार की गयी थी, जिसकी अवधि वर्ष 2022 में पूर्ण हो रही है, को पुनर्गठन किये जाने आवश्यक है, जिस हेतु अनुबंधित संस्था के माध्यम से पुनर्गठन प्राक्कलन तैयार कराये जा चुके हैं, उक्त प्राक्कलन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दी गयी गार्ड लाईन में योजना हेतु प्रति व्यक्ति लागत रु0 6000.00 निर्धारित की गयी, के अनुसार तैयारकर प्रस्तुत किये गये हैं। इसका तकनीकी प्रशिक्षण जल निगम (ग्रामीण) हरदोई द्वारा किया जा चुका है।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पुनर्गठन प्राक्कलनों को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित करते हुए स्वीकृत कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण करायी जाये।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष नामित संस्था मै0एन0सी0सी0 लि0 हैदराबाद द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष कराये जा रहे कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा विस्तार से अवगत कराया गया, जिस पर कमेटी द्वारा सन्तोष व्यक्त किया गया, एवं यह भी निर्देश दिये गये कि प्रगति को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ही प्राप्त करने के हर संभव प्रयास किये जायें।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

सदस्य सचिव अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हरदोई हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा 05 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई0एस0ए0) का चयन किया गया था, जिनको नियमानुसार अनुबंध गठन करने के पश्चात क्लस्टर आवंटित करते हुए जल जीवन मिशन के कार्यों को पूर्ण कराया जा रहा है, किन्तु एक आई0एस0ए0 मै0 एक्सन फार रूरल डेवलपमेंट द्वारा अपने पत्र संख्या 66/आई0एस0ए0-हरदोई/22-23 दिनांक 13.05.2022 द्वारा अपनी विभिन्न परिस्थितियों के कारण सम्पादित अनुबंध को विदग्ध/समाप्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को खण्ड द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देश दिये गये कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से निर्देश प्राप्त हो जाने के उपरान्त उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा कमेटी के समक्ष अवगत कराया गया कि पूर्व में स्वीकृत ग्राम पंचायतों एवं राजस्व ग्राम के सापेक्ष चयनित आई0एस0ए0 को एक-एक क्लस्टर (40 ग्राम पंचायत) की सूची उपलब्ध कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा रही है, जिसके फलस्वरूप पूर्व के अमी भी 62 ग्राम पंचायतों आई0एस0ए0 को आवंटित किया जाना शेष है।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्णय लिया गया कि अवशेष छूटी 62 ग्राम पंचायतों (एक क्लस्टर एवं 22 ग्राम पंचायत) को मै0 भावना सेवा संस्थान द्वारा दी गयी सहमति के अनुपालन में आवंटित करते हुए कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता

जल निगम

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

हरदोई।

अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) हरदोई।

पृ0सं0

960 / अ-70

1268

दिनांक 25/5/22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हरदोई।
- 2- जिला विकास अधिकारी हरदोई।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी महोदया हरदोई।
- 4- जिलाधिकारी, महोदय हरदोई।
- 5- अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता

जल निगम

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

हरदोई।